TRAI'S INTERNET TV FRAMEWORK: A NEW REGULATORY CHAPTER

TRAI's proposed authorisation regime for Application-Based Linear Television Distribution could reshape India's connected TV and broadcasting landscape. While seeking regulatory parity, it raises questions about jurisdiction, commercial viability and the future of internet-based television.

India's television distribution landscape is evolving rapidly. Alongside conventional cable and DTH services, audiences are increasingly accessing scheduled television channels through connected TVs, mobile devices and internet-based applications. The growth of Free Ad-Supported Streaming Television (FAST) services is accelerating this shift, creating new opportunities for broadcasters, digital distributors and advertisers.

Against this backdrop, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), in its recommendations dated October 26, has proposed a dedicated authorisation

ट्राई का इंटरनेट टीवी फ्रेमवर्क ः एक नया रेगुलेटरी अध्याय

एप्लीकेशन बेस्ड लीनियर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्राई द्वारा प्रस्तावित ऑथराइजेशन व्यवस्था, भारत के कनेक्टेड टीवी और प्रसारण परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है। रेगुलेटरी समानता की मांग के साथ-साथ, यह अधिकार क्षेत्र, व्यावसायिक व्यवहार्यता और इंटरनेट आधारित टेलीविजन के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़ी करती है।

भारत में टेलीविजन वितरण का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक केबल और डीटीएच सेवाओं के साथ-साथ, दर्शक अब कनेक्टेड टीवी, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट आधारित आवेदन के जरिए भी टेलीविजन चैनलों को देख रहे हैं। 'फ्री-ऐड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन' (एफएएसटी) सेवाओं का विकास इस बदलाव को और तेज कर रहा है, जिससे प्रसारकों, डिजिटल वितरकों और विज्ञापनदाताओं के लिए नये अवसर पैदा हो रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने **26** अक्टूबर की अपनी सिफारिशों में, 'एप्लीकेशन आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण' (एएलटीडी) सेवाओं के लिए एक विशेष प्राधिकरण



framework for Application-Based Linear Television Distribution (ALTD) services. The proposal seeks to regulate applications and websites that aggregate and distribute linear television channels over the internet.

The objective is to address regulatory disparity between conventional television distribution platforms and internet-based services offering similar channels. However, the recommendations have also triggered debate over the boundaries of broadcasting regulation, the role of internet platforms and the extent of telecom regulatory oversight.

A RELATIVELY LIGHT-TOUCH AUTHORISATION REGIME

Under the proposed framework, ALTD application providers would require authorisation from the Central government under the category of Television Channel Distribution Services.

TRAI has recommended a one-time, non-refundable authorisation fee of Rs 1 lakh, along with a processing fee of Rs 10,000. Authorisation would be valid for 20 years, with successive 10-year renewals at a fee of Rs 10,000.



Significantly, the regulator has not proposed a minimum net-worth requirement, recurring authorisation fee, bank guarantee or security deposit. An authorised application would, however, need to become operational within one year.

The responsibility for obtaining authorisation would rest primarily with the application provider, which typically manages channel acquisition, aggregation, electronic programme guides, advertising insertion and monetisation.

Broadcaster-owned applications and websites distributing exclusively their own channels, or those of specified holding and subsidiary companies, would be exempt. Live streams on social media intermediaries would also remain outside the proposed framework. This distinction recognises the difference between broadcasters distributing their own channels and independent platforms aggregating content from multiple broadcasters.

INTERNET-NATIVE CHANNELS FACE REGISTRATION COSTS

A significant provision concerns internet-native linear television channels developed specifically for distribution through ALTD applications rather than conventional satellite or terrestrial networks.

ढ़ांचा प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन एप्लीकेशन और वेबसाइटों को विनियमित करना है, जो इंटरनेट के माध्यम से लीनियर टेलीविजन चैनलों को एकसाथ लाती है और उनका वितरण करती है।

इसका उद्देश्य पारंपरिक टेलीविजन वितरण प्लेटफॉर्मों और समान चैनल उपलब्ध कराने वाली इंटरनेट आधारित सेवाओं के बीच विनियामक असमानता को दूर करना है। हालांकि, इन सिफारिशों ने प्रसारण विनियमन की सीमाओं, इंटरनेट प्लेटफॉर्मों की भूमिका और दूरसंचार नियामक की निगरानी के दायरे को लेकर बड़ी बहस भी छेड़ दी है।

एक अपेक्षाकृत सरल ऑथराइजेशन व्यवस्था

प्रस्तावित ढ़ांचे के तहत, एएलटीडी एप्लिकेशन प्रदाताओं को 'टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं' की श्रेणी में केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।

ट्राई ने 1 लाख रुपये की एकमुश्त, नॉन रिफंडेबल ऑथराइजेशन शुल्क का सुझाव दिया है। यह ऑथराइजेशन 20 साल के लिए मान्य होगा, जिसे बाद में हर 10 साल में 10,000 रुपये की शुल्क देकर रिन्यू कराया जा सकेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियामक ने न्यूनतम निवल संपत्ति की जरूरत, आवर्ती प्राधिकरण शुल्क, बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा राशि का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि एक अधिकृत आवेदन को एक वर्ष के भीतर परिचालन में आना होगा।

अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आवेदन प्रदाता की होगी, जो आमतौर पर चैनल को हासिल करने, उन्हें इकठ्ठा करने, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड, विज्ञापन जोड़ने और कमाई की व्यवस्था का प्रबंधन करता है।

प्रसारक के स्वामित्व वाले एप्लिकेशन और वेबसाइट, जो केवल अपने खुद के चैनलों–या अपनी होल्डिंग और सहायक कंपनियों के चैनलों–का प्रसारण करते हैं, उन्हें इस दायरे से छूट मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग भी इस प्रस्तावित ढ़ांचे के दायरे से बाहर रहेंगी। यह अंतर उन प्रसारकों, जो अपने खुद के चैनलों का प्रसारण करते हैं और उन स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, जो कई प्रसारकों से कंटेंट इकठ्ठा करके दिखाते हैं, के बीच के फर्क को स्पष्ट करता है।

पंजीकरण लागत का सामना करना पड़ेगा इंटरनेट आधारित चैनलों को

हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन इंटरनेट आधारित लीनियर टेलीविजन चैनलों से संबंधित है, जिन्हें पारंपरिक सैटेलाइट या टेरस्ट्रियल नेटवर्क के बजाय विशेष रूप से एएलटीडी आवेदनों के जरिए प्रसारित करने के लिए विकसित किया गया है।

TRAI has proposed a separate registration category for these channels, classified under non-news and current affairs. Content owners would need to register with the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) and enter into a distribution agreement with an Indian company for application-related and compliance purposes.

The proposed structure includes a processing fee of Rs 10,000 and an annual registration fee of Rs.1 lakh per channel. Registration would be valid for 10 years, with a renewal fee of RS 10,000 for a further 10-year period.

While this creates a formal entry route for digital-first television channels, the annual fee could prove challenging for smaller content owners and emerging operators. Unlike established broadcasters, these channels may need time to build audiences, attract advertisers and establish sustainable revenue streams. The cost could be particularly significant for companies operating multiple channels.



The industry will therefore be looking for a registration structure that ensures accountability without discouraging experimentation and investment.

THE BIG TECH EXEMPTION RAISES QUESTIONS

The exclusion of live streams on social media platforms has emerged as another point of contention. Industry stakeholders have questioned why independent applications aggregating scheduled television channels should face authorisation and compliance requirements when similar television-style live programming can be accessed through major technology platforms without comparable obligations.

The concern is that dedicated FAST and connected TV platforms could be placed at a competitive disadvantage despite investing in content aggregation and distribution infrastructure.

However, social media livestreaming covers a much wider range of activities, including creator broadcasts, news events, entertainment and user-generated content. Bringing all such activity under a television distribution framework could considerably widen the scope of regulation.

The government will need to establish a clear distinction between television-style linear distribution and general online livestreaming. Regulatory parity should not result in broadcasting obligations being indiscriminately extended across the wider internet ecosystem.

ट्राई ने इन चैनलों के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव रखा है, जिन्हें 'नॉन–न्यूज और करंट अफेयर्स' के तहत वर्गीकृत किया गया है। कंटेंट मालिकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पास पंजीकरण कराना होगा और एप्लिकेशन से जुड़े कार्यों व नियमों के अनुपालन के लिए किसी भारतीय कंपनी के साथ वितरण समझौता करना होगा।

प्रस्तावित ढ़ांचे में 10,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और प्रति चैनल 1 लाख रुपये की वार्षिक पंजीकरण फीस शामिल है। पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होगा और अगले 10 वर्षों के लिए इसे रिन्यू कराने की फीस 10,000 रुपये होगी।

हालांकि इससे डिजिटल फर्स्ट टेलीविजन चैनलों के लिए एक औपचारिक प्रवेश मार्ग तो बनता है, लेकिन वार्षिक शुल्क कंटेंट मालिकों और नये ऑपरेटरों के लिए एक चुनौती बन सकता है। स्थापित प्रसारकों के विपरीत, इन चैनलों को दर्शक जुटाने, विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने और आय के स्थायी स्रोत बनाने में समय लग सकता है। कई चैनल चलाने वाली कंपनियों के लिए यह लागत विशेष रूप से भारी पड़ सकती है।

इसलिए उद्योग ऐसे पंजीकरण ढ़ांचे की उम्मीद करेगा जो प्रयोगों और निवेश को हतोत्साहित किये बिना जवाबदेही सुनिश्चित करे।

बड़ी तकनीकी कंपनियों को मिले छूट पर सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग को दायरे से बाहर रखना विवाद का एक और मुद्दा बन गया है। उद्योग से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया है कि टीवी चैनलों को एकसाथ दिखाने वाले स्वतंत्र ऐप्स को ही क्यों ऑथराइजेशन और नियमों का पालन करने की शर्तों का सामना पड़े, जबकि बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह के टीवी स्टाइल लाइव प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, जिनपर ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं होती हैं।

चिंता यह है कि कंटेंट एग्रीगेशन और वितरण संरचना में निवेश करने के बावजूद, समर्पित फार्स्ट और कनेक्टेड टीवी प्लेटफॉर्म को प्रतिस्पर्धा के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हालांकि सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग में गतिविधियों का एक बहुत व्यापक दायरा शामिल होता है, जिसमें क्रिएटर्स के प्रसारण, समाचार कार्यक्रम, मनोरंजन और यूजर्स द्वारा तैयार किया गया कंटेंट शामिल हैं। इन सभी गतिविधियों को टेलीविजन वितरण ढ़ांचे के दायरे में लाने से, नियमन का दायरा काफी बढ़ सकता है।

सरकार को टेलीविजन–शैली के लीनियर वितरण और सामान्य ऑनलाइन लाइव–स्ट्रीमिंग के बीच स्पष्ट अंतर तय करना होगा। नियामक समानता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि प्रसारण संबंधी बाध्यताओं को बिना किसी भेदभाव के पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम पर लागू कर दिया जाए।

THE OTT JURISDICTION DEBATE RESURFACES

Perhaps the most contentious issue is TRAI's statutory jurisdiction over internet-based applications. Several industry stakeholders argue that ALTD services operate at the application layer and rely on internet connectivity provided by licensed telecom operators. They do not necessarily own or operate the underlying transmission infrastructure.

Their argument is that distributing television channels over the internet does not automatically bring an application within TRAI's regulatory jurisdiction.

The debate has revived concerns about the possible extension of telecom regulation into the wider OTT ecosystem. During the legislative process leading to the Telecommunications Act, 2023, OTT communication services were included in the original draft Indian Telecommunication Bill, 2022, but were subsequently excluded following public consultation and stakeholder objections.



Industry submissions have cited this history to question whether internet-based services can subsequently be brought within the telecom regulatory framework through subordinate regulatory mechanisms.

Although ALTD services and conventional OTT platforms are different categories, the regulatory distinction remains important. ALTD primarily distributes scheduled linear television channels, whereas OTT platforms offer on-demand films, original programming and other audiovisual content. Industry participants are seeking clarity on the boundaries between broadcasting, telecom regulation and the legal framework governing digital platforms.

IMPLICATIONS FOR BROADCASTERS AND DISTRIBUTORS

For conventional broadcasters, the proposed framework could influence their digital distribution strategies. TRAI has recommended that broadcasters provide channel signals or feeds only to authorised ALTD application providers through appropriate interconnection agreements.

Existing application providers would have a proposed

ओटीटी के अधिकार क्षेत्र पर फिर से बहस शुरू

शायद सबसे विवादित मुद्दा इंटरनेट आधारित एप्लिकेशन पर ट्राई का कानूनी अधिकार क्षेत्र है। उद्योग से जुड़े कई लोगों का तर्क है कि एएलटीडी सेवायें एप्लिकेशन लेयर का काम करती हैं और लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर होती हैं। इनका अपना कोई ट्रांसमिशन संरचना नहीं होता है और न ही ये उसे संचालित करती है।

उनका तर्क है कि इंटरनेट के जरिए टेलीविजन चैनलों को वितरित करने मात्र से कोई एप्लिकेशन अपने आप ट्राई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आ जाती है।

इस बहस ने व्यापक ओटीटी इकोसिस्टम में दूरसंचार विनियमन के संभावित विस्तार को लेकर चिंताओं को फिर से जीवित कर दिया है। दूरसंचार अधिनियम, **2023** के निर्माण की विधायी प्रक्रिया के दौरान, ओटीटी संचार सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विधेयक, **2022** के मूल मसौदे में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में सार्वजनिक परामर्श और हितधारकों की आपत्ति के बाद इसे हटा दिया गया।

उद्योग जगत की ओर से प्रस्तुत सुझावों में इस इतिहास का हवाला देते हुए यह सवाल उठाया गया है कि क्या इंटरनेट आधारित सेवाओं को अधीनस्थ नियामक तंत्रों के माध्यम से दूरसंचार नियामक ढ़ांचे के दायरे में लाया जा सकता है।

हालांकि, एएलटीडी सेवायें और पारंपरिक ओटीटी प्लेटफॉर्म अलग-अलग श्रेणियां हैं, फिर भी नियामकीय अंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है। एएलटीडी मुख्य रूप से निर्धारित लीनियर चैनलों का वितरण करता है, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन डिमांड फिल्में, मूल कार्यक्रम और अन्य ऑडियोविजुअल सामग्री प्रदान करते हैं। उद्योग के प्रतिभागी प्रसारण, दूरसंचार विनियमन और डिजिटल प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढ़ांचे के बीच की सीमाओं पर स्पष्टता चाहते हैं।

प्रसारकों और वितरकों पर प्रभाव

पारंपरिक प्रसारकों के लिए, प्रस्तावित ढ़ांचा उनकी डिजिटल वितरण रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। ट्राई ने सिफारिश की है कि प्रसारक केवल अधिकृत एएलटीडी एप्लिकेशन प्रदाताओं को ही अंतर्संबध समझौतों के माध्यम से चैनल सिग्नल या फीड प्रदान करे।

मौजूदा आवेदन प्रदाताओं को फ्रेमवर्क की अधिसूचना के बाद प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की प्रस्तावित संक्रमण अवधि

transition period of one year from notification of the framework to obtain authorisation. If an application fails to secure authorisation within this period, broadcasters would have to discontinue supplying their channel feeds.

This would require broadcasters to review existing digital distribution arrangements and assess the regulatory status of their partners.

The exemption for broadcaster-owned applications, meanwhile, preserves flexibility for media companies investing in direct-to-consumer platforms. Independent aggregators could gain greater regulatory recognition, although authorisation would not automatically guarantee access to channels. Distribution would continue to depend on interconnection agreements and negotiated commercial terms.

ADVERTISING AND AUDIENCE MEASUREMENT

The commercial success of the ALTD ecosystem will depend significantly on advertising monetisation and audience measurement.

Internet-based applications can support dynamic ad insertion through advertising markers embedded in broadcaster feeds. This creates opportunities for targeted advertising and differentiated inventory. However, agreements between broadcasters and application providers will need to address advertising rights, inventory ownership, insertion responsibilities and revenue sharing. TRAI has not prescribed a universal revenue-sharing model, leaving these matters to commercial negotiations.



The regulator has also recommended integrating ALTD viewership into the existing television audience measurement framework.

Figures cited in the recommendations indicate that India had more than 193 million television households in 2025, while connected TV users exceeded 129 million. FAST users are projected to increase from approximately 116 million in 2023 to nearly 149 million by 2027.

Including ALTD viewership in television ratings could give broadcasters and advertisers a more comprehensive picture of consumption across cable, DTH and internet-

दी जायेगी। यदि कोई एप्लिकेशन इस अवधि के भीतर प्राधिकरण प्राप्त करने में विफल रहता है तो प्रसारकों को अपने चैनल फीड की आपूर्ति बंद करनी होगी।

इसके लिए प्रसारकों को मौजूदा डिजिटल वितरण व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी होगी और अपने साझेदारों की नियामक स्थिति का आकलन करना होगा।

इस बीच प्रसारकों के स्वामित्व वाले एप्लिकेशन्स के लिए दी गयी छूट डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाली मीडिया कंपनियों के लिए लचीलापन बनाये रखती है। स्वतंत्र एग्रीगेटर्स को अधिक विनियामक मान्यता मिल सकती है, हालांकि प्राधिकरण मिलने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने आप चैनलों तक पहुंच मिल जायेगी। चैनलों का वितरण इंटरकनेक्शन समझौतों और आपसी बातचीत से तय होने वाली व्यावसायिक शर्तों पर ही निर्भर करेगा।

विज्ञापन और दर्शकों की संख्या का मापन

एएलडीटी इकोसिस्टम की व्यवसायिक सफलता काफी हद तक विज्ञापनों से होने वाली कमाई और दर्शकों की संख्या के मापन पर निर्भर करेगी।

इंटरनेट आधारित एप्लिकेशन ब्रॉडकास्टर फीड में एम्बेडेड विज्ञापन मार्करों के माध्यम से गतिशील विज्ञापन सम्मिलन का समर्थन कर सकते हैं। इससे लक्षित विज्ञापन और विशिष्ट इन्वेंटरी के अवसर पैदा होते हैं। हालांकि, प्रसारकों और आवेदन प्रदाताओं के बीच समझौतों में विज्ञापन, इन्वेंटरी स्वामित्व, सम्मिलन की जिम्मेदारी व राजस्व साझाकरण जैसे मुद्दों को शामिल करना होगा। ट्राई ने कोई सार्वभौमिक राजस्व साझाकरण मॉडल निर्धारित नहीं किया है,वैसे इन मामलों को व्यवसायिक बातचीत पर छोड़ दिया गया है।

गौरतलब है कि नियामक ने एएलटीडी दर्शकसंख्या को मौजूदा टेलीविजन दर्शक मापन फ्रेमवर्क में शामिल करने की भी सिफारिश की बात कही है।

सिफारिश में दिये गये आंकड़े बताते हैं कि **2025** में भारत में **193** मिलियन से अधिक टेलीविजन वाले घर थे, दूसरी ओर कनेक्टेड टीवी उपयोगकर्ताओं की संख्या **129** मिलियन से अधिक थी। उद्योग का अनुमान है कि फार्स्ट उपयोगकर्ताओं की संख्या **2023** में लगभग **116** मिलियन से बढ़कर **2027** तक लगभग **149** मिलियन हो जायेगी।

टेलीविजन रेटिंग में एएलटीडी दर्शकसंख्या शामिल करने से प्रसारकों और विज्ञापनदाताओं को केवल, डीटीएच और इंटरनेट आधारित

based platforms. Its commercial value, however, will depend on the reliability and industry acceptance of the measurement methodology.

SMART TV MANUFACTURERS ENTER THE FRAMEWORK

The recommendations also introduce responsibilities for smart TV manufacturers and operating system providers. TRAI has proposed that MIB maintain a Master ALTD App Repository listing authorised applications and their providers.

Manufacturers and operating system providers would be able to verify authorisation through mechanisms such as QR codes or application programming interfaces. Only applications listed in the repository should be enabled, with non-discriminatory treatment of authorised services.

They would also be required to remove or disable applications whose authorisation is absent, suspended or revoked, and submit annual compliance reports. These provisions could influence how FAST applications are pre-installed, distributed and accessed across connected television ecosystems.

BALANCING REGULATION WITH INNOVATION

TRAI's recommendations represent an important attempt to establish a formal framework for internet-based linear television distribution. For broadcasters, they could create a more structured digital distribution environment. Independent aggregators would gain regulatory recognition alongside additional compliance responsibilities, while internet-native channels would have a formal entry route but face recurring costs.

The recommendations are now before the government for consideration and are not yet notified rules. The final framework adopted by MIB will determine the extent of regulatory and commercial changes.

Ultimately, its success will depend on balancing regulatory parity and consumer protection with investment, innovation and competition. As television moves beyond conventional distribution networks, regulation must evolve without creating unnecessary barriers for India's expanding digital broadcasting ecosystem.■

प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की खपत की एक अधिक व्यापक तस्वीर मिल सकती है। हालांकि, इसका व्यावसायिक मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि मापन की यह पद्धति कितनी विश्वनीय है और इसे उद्योग द्वारा कितनी स्वीकार्यता मिलती है।

अब इस ढ़ांचे में शामिल हैं स्मार्ट टीवी निर्माता

सिफारिशों में स्मार्ट टीवी निर्माताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं के लिए भी जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी है। ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि एमआईबी एक मास्टर एएलटीडी ऐप रिपॉजिटरी बनाये रखे जिसमें अधिकृत एप्लिकेशन और उनके प्रदाताओं की सूची हो।

अब निर्माता और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाता क्यूआर कोड या एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) जैसे तरीकों से ऑथराइजेशन की जांच कर सकेंगे। केवल रिपॉजिटरी में सूचीबद्ध एप्लिकेशन को ही चालू किया जाना चाहिए और अधिकृत सेवाओं के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाना चाहिए।

उन्हें एप्लिकेशन को हटाने या निष्क्रिय करने की आवश्यकता होगी जिनकी अनुमति अनुपस्थित, निलंबित या रद्द कर दी गयी है, और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रावधान नये कनेक्टेड टेलीविजन इकोसिस्टम में फार्स्ट एप्लिकेशनों के पूर्व इंस्टॉल, वितरण और उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं।

नियमन और नवाचार के बीच संतुलन

ट्राई की सिफारिशें इंटरनेट आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण के लिए एक औपचारिक ढ़ांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। प्रसारकों के लिए इससे एक अधिक व्यवस्थित डिजिटल वितरण परिवेश बन सकता है। स्वतंत्र एग्रीगेटर्स को विनियामक मान्यता तो मिलेगी, लेकिन साथ ही उन पर अनुपालन की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आ जायेंगी। वहीं इंटरनेट नेटिव चैनलों के लिए प्रवेश का एक औपचारिक रास्ता तो खुलेगा, लेकिन उन्हें लगातार आने वाली लागतों का सामना करना पड़ेगा।

ये सिफारिशें अब सरकार के पास विचार के लिए हैं और इन्हें अभी तक नियमों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। एमआईबी द्वारा अपनाया जाने वाला अंतिम ढांचा यह तय करेगा कि नियामक और व्यावसायिक बदलाव किस हद तक होंगे।

अंततः इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेश नवाचार और प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ विनियामक समानता और उपभोक्ता संरक्षण के बीच कैसे संतुलन बनाया जाता है। जैसे-जैसे टेलीविजन पारंपरिक वितरण नेटवर्क से आगे बढ़ रही है, भारत के विस्तारित होते डिजिटल प्रसारण इकोसिस्टम के लिए अनावश्यक बाधायें पैदा किये बिना, नियमों और विनियमों में भी बदलाव आना चाहिए।■